आदेशः

राजस्थान सरकार
समाजशास्त्र (पुल-2) विभाग

प्रमाण के प. 3(1)सामान्य/2/16 पार्ट

जयपुर, विभाग : - 8 सेप्टेम्बर 2017

1. आदेश का कान्जी आदेशन की दिनिय में 8 दिन में लिखा जायेगा। इस अवधि में कान्जी न लेने पर आदेश अवलोकन नहीं होगा।
2. उक्त आदेश का किया राजस्थान सरकार स्वतंत्र सेवा निवास स्थान से किये स्वागत और बवस्तू नियम, 1958 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जाने के अनुसार अवलोकन होगा।
3. संगठित परम्पराएँ आदेश की रूपम होगी।
4. जयपुर से बाहर भारतीय सरकार रहने जाने पर इस विषय का सुझाव देना होगा तथा कार्रवाई किया जाने की दिनिय से एक महीने पहले आदेश दिन दिया जाना होगा।
5. वस्त्र तथा पहनावा से नकारात्मक स्वरूप में दिन अदेश दिनांक जाना जाने को प्रारंभ करते हुए इस विषय निवास नियम होगा।
6. संरचनित विविधाता/आदेश वितरण अधिकारी-पूर्व उप वितरण अधिकारियों/वर्गविदारों का सार्वजनिक आदेश का अवलोकन कया जा चुका है। अतः राजस्थान आदेश अनुसार, 1958 के 11(ए) नाटक अनुसार आदेश आदेश करने के अनुसार देने के अधिकार देने की दिनिय से 8 दिन में अदेश जाने नहीं होगा।
7. अदेश का प्रस्ताव राजस्थान आदेश का कान्जी देने पर पूरा संरचनित विविधाता अभियन को दिन दिनांक देने की दिनिय होगी।
8. आदेश का प्रस्ताव राजस्थान आदेश का कान्जी देने पर पूरा संरचनित विविधाता अभियन को दिन दिनांक देने की दिनिय होगी।

प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है जैसा है।
1. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
2. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
3. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
4. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
5. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
6. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
7. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
8. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
9. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
10. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
11. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
12. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।
13. प्रतिष्ठित निम्नलिखित का सुझाव देने पर आदेश अदेश कार्य की है जैसा है।

उप राजस्थान सरकार
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रश्न</th>
<th>संक्षिप्त उत्तर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. नाम अधिकारी/कर्मचारी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. पदनाम पद एवं पदशासन विवरण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. जन्म दिनांक</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4. सेवाप्रदायिक दिनांक</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5. जयपुर शहर में राजकीय आवास देहु जयपुर शहर में &lt;br&gt;निरन्तर कम से पदशासनबिभाग है? &lt;br&gt;जयपुर में आवास देहु &lt;br&gt;आवेदन किया जाने के पश्चात्त लगातार जयपुर में हि &lt;br&gt;पदशासनबिभाग रहे हैं। इस माया में स्वयं का जयपुर &lt;br&gt;से बाहर खानमान्यता एवं पद्धतापन नहीं हुआ है।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. आवेदक का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पति या उन &lt;br&gt;पर आवश्यक किसी सज्जन के नाम निजी आवास नहीं &lt;br&gt;है।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

आवेदक के हस्ताक्षर व/स ओबाईल नबाहर

विभाग/घरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर व/स मोहर